तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज मनोहरी v/s सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
[illegible]/9/09	वकील वादी उप० दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन जारी कर पत्रावली दिनांक 24/9/09 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर अलवर	
24/9	वकील वादी उप० प्रतिवादीगण को नोटिस जारी कर दि 6/10/9 को पेश हो [signature] सहायक कलक्टर	
6/10	[illegible] उप०/अभिभाषक संघ ने कार्य [illegible] कर रखा है। P.O. [illegible] अन्य प्रशासनिक कार्य [illegible] है पत्रावली दिनांक 27/10/9 [illegible] हो। [signature]	
27/10/9	वकील वादी उप० पैरोकार सरकार उप० पैरोकार सरकार की ओर से जवाबदावा पेश हुआ वास्ते कार्यवाही [illegible] हेतु पत्रावली दि० 12/11/09 को पेश हो। [signature]	
12/11	[illegible] 3/12/9 को पेश हो। [signature]	
3/12/9	कार्यवाही लम्बित [illegible] अन्य प्रशासनिक कार्य [illegible] है पत्रावली दिनांक 22/12/9 को पेश हो। [signature]	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर अहकाम हुक्म ... में ...
22/1/10	तारीख वादी [illegible] [illegible] उप0 [illegible] [illegible] तरफ [illegible] पेश हो 18/1/10 को [signature] सहायक कलक्टर अलवर	
18/1/10	पीठासीन अधिकारी [illegible] के कार्य स्थगित कर रखा है। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है पत्रावली दिनांक 8/3/10 को पेश हो। [illegible] [signature]	
8/3	पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है पत्रावली दिनांक 10/3/10 को पेश हो। [signature]	
10/3	तारीख वादी उप0 पत्रावली [illegible] [illegible] दि 22/3/10 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर अलवर	
22/3	पीठासीन अधिकारी [illegible] के कार्य [illegible] अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है पत्रावली दिनांक 5/4/10 को पेश हो। [signature]	[illegible]
5/4/10	तारीख उप0 वादी [illegible] [illegible] दिनांक 12/4/10 को पेश हो [signature] सहायक कलक्टर अलवर	

Scanned with OKEN Scanner

फर्द अहकाम

[नियम 26]

सहायक कलक्टर

अदालत ······ अलवर ······ मुकाम ······

······ मनोहरी ······ बनाम ······ राज्य वगैरह ······

मुकदमा ······ कं 91 ······ नं० ······ 1196 ······ सन् ······ 09 ······

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14	वादी वकील राय पैरोकार हाजिर उप०। [illegible] [illegible] की आकर श्री० [illegible] पत्रावली कार्य वादी [illegible] दिनांक 19/4/11 को पेश हो। [initials] सहायक कलक्टर अलवर	
4/10	वकील वादी राय पैरोकार हाजिर उप०। मिला अभिभाषक [illegible] न अपना स्थगित रखा। वादी अपना साक्ष्य में [illegible], बिल्लूराम ने साक्ष्य में शपथ-पत्र पेश किये [illegible] पैरोकार [illegible] कर नकल [illegible] पत्रावली दिनांक 3/5/10 को पेश हो। [initials] सहायक कलक्टर अलवर	
5/10	वादी वकील राय पैरोकार उपस्थित। दिनांक [illegible] वादी साक्षी को तलब [illegible] 11/5/10 को पेश हो। [initials]	
11/5	संकुलता [illegible] के कार्य स्थगित [illegible] अन्य प्रशा[illegible] कारण है पत्रावली दिनांक 3/5/10 को पेश हो। [initials]	

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में ज
3/5/10	वादी कार्यवाही मय वकील एवं प्रतिवादी उप०। वादी के गवाह हाजिर व बिल्टू उप० वादी साक्ष्य के बयान व गवाहान बिल्टू दर्ज किये गये साक्ष्य वादी बंद की गई। प्रतिवादी साक्ष्य हेतु दि 14/6/10 को पेश हो। सहायक कलक्टर अलवर	
14/6/10	[illegible] संघ ने कार्य [illegible] साहब अन्य अवकाश [illegible] है पत्रावली 29/6/10 को पेश हो।	
29/6/10	वकुलाय [illegible] संघ ने कार्य स्थगित [illegible] साहब अन्य प्रशासनिक कार्य में [illegible] है पत्रावली दिनांक 6/7/10 को पेश हो।	
6/7/10	वकील वादी / वकुलाय उप० पीठासीन अधिकारी [illegible] / अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त [illegible] तारीख पेशी दिनांक 12/7/10 लगाई जाती है।	
12/7/10	पक्षकारान उप० वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी हेतु दि० 19/7/10 को पेश हो। सहायक कलक्टर अलवर	
19/7/10	वकुलाय [illegible] अधिभाषक संघ ने कार्य स्थगित [illegible] साहब अन्य प्रशासनिक [illegible] है पत्रावली दिनांक 27/7/10 को पेश हो।	

Scanned with OKEN Scanner

फर्द अहकाम

[नियम 26]

अदालत सहायक कलक्टर अलवर मुकाम

मनोहरी बनाम सरकार

मुकदमा दावा नं० 1/96 सन् 2001

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7/7/10	वकील वादी उप० पैरोकार सरकार उप० पटवारी हल्का केसरपुर के बयान दर्ज किये गये। वास्ते बहस अन्तिम हेतु दि० 3/8/10 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर अलवर	
3/8/10	वकील वादी व पैरोकार उप० वकील वादी ने प्रा०पत्र मौका मुआयना पेश की नकल पैरोकार को दिलाई गई। प्रा०पत्र पर बहस सुनी गई। वास्ते आदेश हेतु दि० 4/8/10 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर अलवर	
4/8/10	वकील वादी उप० वादी का प्रा०पत्र बाबत मौका मुआयना स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिये जाते है कि विवादित आराजी का नम्बरान की मौके की रिपोर्ट हेतु तहसीलदार अलवर को तहरीर जारी कर पत्रावली दि० 18/8/10 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर अलवर	
18/8/10	वकुलाय [illegible] ने कार्य स्थगित कर रखा है [illegible] PO साहब अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है पत्रावली दिनांक 23/8/10 को पेश हो। [signature]	
23/8/10	वकील वादी / वकुलाय उप० पीठासीन अधिकारी अवकाश / ~~अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है~~ ~~बढ़ाई~~ तारीख पेशी दिनांक 30/8/10 बढ़ाई जाती है। [signature]	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
30/8/10	वकुलाय उप0/अभिभावक संघ ने कार्य स्थगित कर रखा है। PO साहब अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है पत्रावली दिनांक 9/9/10 को पेश हो। [signature]
9/9/10	वकुलाय उप0/अभिभावक संघ ने कार्य स्थगित कर रखा है। PO साहब अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है पत्रावली दिनांक 17/9/10 का पेश हो। [signature]
20/9/10	दि0 17/9/10 को अवकाश होने पर आज पेश। वकुलाय उप0/अभिभावक संघ ने कार्य स्थगित कर रखा है। PO साहब अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है पत्रावली दिनांक 11/10/10 को पेश हो। [signature]
11/10/10	वकुलाय उप0/PO साहब अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है पत्रावली दिनांक 18/10/10 को पेश हो। [signature]
18/10/10	वकुलाय उप0/PO साहब अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है पत्रावली दिनांक 20/10/10 को पेश हो। [signature]
20/10/10	वकील मय खाते व पैरोकार उप0 तहसीलदार अलवर की ओर से रिपोर्ट प्राप्त हुई। ख0 कि0 की वकलाओं की बहस सुनी गई। वास्ते आदेश हेतु पत्रावली दि0 28/10/10 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर अलवर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज मनोहरी वि० हरफूल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
…1/10/10	वकील वादी व पैरोकार उप० P.O. व्यस्त अन्य प्रशा० कार्य में व्यस्त है पत्रावली दि० 1/11/10 को पेश हो।	
…11/10	व कुशाय उप०/ P.O. व्यस्त कैम्प के चलते पत्रावली दि० 3/11/10 को पेश हो।	
…11/10	व कुशाय उप० P.O. व्यस्त कैम्प में व्यस्त पत्रावली दि० 1/12/10 को पेश हो।	
…12/10	व कुशाय उप० P.O. व्यस्त कैम्प में व्यस्त है पत्रावली दि० 19/1/11 को पेश हो।	
19/1/11	वकील वादी व पैरोकार उप० बहस सुने हुए 30 दिन से अधिक हो चुके है पुनः बहस सुनेंगे। वास्ते बहस हेतु दि० 25/1/11 को पेश हो। सहायक कलक्टर अलवर	
…5/1/11	वकील वादी व पैरोकार उप० वास्ते बहस हेतु दि० 31/1/11 को पेश हो। सहायक कलक्टर अलवर	
31/1/11	वकुलाय [illegible] संघ के कार्य स्थगित [illegible] P.O. साहब अन्य प्रशासनिक [illegible] में व्यस्त है पत्रावली दिनांक 3/2/11 को पेश हो।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
3/2/11	[illegible] कार्य में व्यस्त है [illegible] 7/2/11 को पेश हो।
7/2/11	वकीलान अन्य पैरोकार सरकार अन्य वकील वादी दस्तावेजात पेश करने को समय चाहते हैं। वादी पेश करे दस्तावेजात व बहस हेतु दि० 21/2/11 को पेश हो। सहायक कलक्टर अलवर
21/2/11	वकील वादी / [illegible] पीठासीन अधिकारी [illegible] के कारण पत्रावली दिनांक 21/3/11 को पेश हो।
21/3/11	पीठासीन अधि[illegible] अन्य प्रशासनिक कार्य में व्य[illegible] दिनांक 16/5/11 [illegible]
16/5/11	वकुलाय उप0/अभिभावक संघ ने कार्य स्थगित कर रखा है। PO साहब अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है पत्रावली दिनांक 4/7/11 को पेश हो।
4/7/11	[illegible] कार्य [illegible] कर रखा है। PO साहब अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है पत्रावली दिनांक 8/8/11 को पेश हो।
8/8/11	वकुलाय [illegible] अन्य प्रशासनिक [illegible] दिनांक 23/8/11 को पेश [illegible]
23/8/11	वकुलाय उप0/अभिभावक संघ ने कार्य स्थगित कर [illegible] PO साहब अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है पत्रावली दिनांक 3/10/11 को पेश हो।

6

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जजं मनोहरी वि० सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3/11/11	वकुलाय उप०/PO साहब अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है पत्रावली दिनांक 5/11/11 को पेश हो।	
5/11/11	वकुलाय आज कार्य स्थगित रखा वास्ते आदेश हेतु पत्रावली दि० 22/11/11 को पेश हो। सहायक कलेक्टर अलवर (राज०)	
22/11/11	वकुलाय उप०/PO साहब अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है पत्रावली दिनांक 29/11/11 को पेश हो।	
29/11/11	वकुलाय उप०/अभिभाषक संघ ने कार्य स्थगित कर रखा है। PO साहब अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है पत्रावली दिनांक 5/12/11 को पेश हो।	
5/12/11	वकुलाय उप०/अभिभाषक संघ ने कार्य [illegible] प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है पत्रावली दिनांक 13/12/11 को पेश हो।	
13/12/11	वकुलाय उप०/अभिभाषक संघ ने कार्य [illegible] PO साहब अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है पत्रावली दिनांक 3/1/12 को पेश हो।	
3/1/12	वकील वादी/वकुलाय उप० पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने के कारण पत्रावली दिनांक 1/2/12 को पेश हो।	
1/2/12	वकील वादी/वकुलाय उप० पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने के कारण पत्रावली दिनांक 6/2/12 को पेश हो।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
6/2/12	व.कुमार उप० / बहस सुनते हुए 3 बजे से अधिक हो चुके हैं। पुनः बहस हेतु पत्रावली दि० 9/2/12 को पेश हो।
9/2/12	वकुमार उप० / बहस सुनी गई। वास्ते आदेश हेतु पत्रावली दि० 13/2/12 को पेश हो। सहायक कलक्टर अलवर
13/2/12	वकुमार उप० बाद बहस (लिखित) जारी। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सुनाया गया। सहायक कलक्टर अलवर
	11.2.16 आज पत्रावली माननीय न्यायालय RAA के निर्णय दिनांक 24.11.15 के साथ पेश हुई। माननीय न्यायालय RAA ने इस न्यायालय के निर्णय दि. 13.2.12 को निरस्त करते हुए, इस निर्देश के साथ पेश की कि उठाए गए ऑब्जरवेशन के आधार पर पुनः निर्णय पारित करने के निर्देश दिए गए है। अतः पक्षकारान को नोटिस द्वारा सूचित किया जाकर पत्रावली दि 17.3.16 को पेश हो। सहायक कलक्टर अलवर
	17.3.16 वकुलाय उप0/PO साहब अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है पत्रावली दिनांक 19.5.16 को पेश हो।

मनोहरी V/S सरकार हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
वकुलाय उप०/ पत्रावली कैम्प कोर्ट से पेश हुई पत्रावली दि० 4.8.16 को पेश हो 4.8.16 वकुलाय उप०/ श्रीमान PO सा० स्थानान्तरण होकर जा चुके हैं। पत्रावली दिनांक 8.9.16 को पेश हो 8.9.16 वकुलाय उप०/ श्रीमान PO सा० स्थानान्तरण होकर जा चुके हैं। पत्रावली दि० 29.9.16 को पेश हो 29.9.16 वकुलाय उप०/ श्रीमान PO सा० स्थानान्तरण होकर जा चुके हैं। पत्रावली दि. 3.11.16 को पेश हो। 03.11.16 वकुलाय उप०/ श्रीमान PO सा० स्थानान्तरण होकर जा चुके हैं पत्रावली दि० 08.12.16 को पेश हो 08.12.16 वकुलाय उप०/ श्रीमान PO सा० स्थानान्तरण होकर जा चुके हैं। पत्रावली दि० 02-2-17 को पेश हो 2.2.17 वकुलाय उप0/PO साहब अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है पत्रावली दिनांक 16.3.17 को पेश हो। ~~18-3-17~~ 16.3.17 आज पत्रावली पेश हुई वकील वादीगण को जरिए नोटिस (सम्मन) से तलब होवे पत्रावली दि 6.5.17 को पेश हो सहायक कलक्टर पत्रावली आज दिनांक 15.6.17 को न्याय आपके द्वार अभियान 2017-राजस्व लोक [illegible] ग्राम [illegible] में प्रस्तुत हुई। पश्चात [illegible] नहीं होने से पत्रावली दिनांक 17.10.17 को न्यायालय में पेश हो।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	17.10.17 वकुलाय उप0/PO साहब अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है पत्रावली दिनांक 14.11.17 को पेश हो। [illegible]
	14.11.17 वकुलाय उप0/PO साहब अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है पत्रावली दिनांक 26.12.17 को पेश हो।
	26.12.17 वकुलाय उप0/PO साहब अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है पत्रावली दिनांक 30.1.18 को पेश हो।
	30.1.18 वकुलाय उप0/PO साहब अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है पत्रावली दिनांक 6.3.18 को पेश हो।
	6-3-18 वकुलाय उप0/[illegible] प्रशासनिक कार्य स्थानान्तरण कार्य में व्यस्त है [illegible] दिनांक 3-4-18 को पेश हो।
	3-4-18 वकील वादी/वकुलाय उप0 पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने के कारण पत्रावली दिनांक 8-5-18 को पेश हो।
बतलवारी	8.5.18 वकुलाय उप0/PO साहब अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है पत्रावली दिनांक 31.7.18 को पेश हो।
	31.7.18 वकुलाय उप0/PO साहब अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है पत्रावली दिनांक 11.10.18 को पेश हो।

Scanned with OKEN Scanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.10.19 ...लाय उप0/PO साहब अन्य प्रशासनिक ...र्य में व्यस्त है पत्रावली दिनांक 11.4.19 ... पेश हो।	
11.4.19 वकुलाय उप0/PO साहब अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है पत्रावली दिनांक 22.5.19 को पेश हो।	
23.5.19 वकुलाय उप0/PO साहब अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है पत्रावली दिनांक 11.7.19 को पेश हो।	
11.7.19 वकुलाय उप0/PO साहब अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है पत्रावली दिनांक 28.8.19 को पेश हो।	
28/8/19 वकुलाय उप0/PO साहब अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है पत्रावली दिनांक 25/10/19 को पेश हो।	
25/10/19 पक्षकारान हाजिर उप0। श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 24/11/2015 मे दिये गये ऑब्जरवेशन के आधार पर पुनः निर्णय पारित करने वास्ते बहस हेतु पत्रावली दि0 16/1/20 को पेश हो। सहायक कलक्टर अलवर (राज0)	
16/1/20 वकुलाय उप0/ पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्य मे व्यस्त होने के कारण पेशी दिनांक 6/3/20 लगाई जाती है।	

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

6/2/20

वकुलाय उप०/ बार अभिभावक द्वारा कार्य स्थगित कर रखा है। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है पत्रावली दिनांक 11/3/20 को पेश हो।

11/3/20

वकुलाय उप०/ बार अभिभावक द्वारा कार्य स्थगित कर रखा है। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है पत्रावली दिनांक 8/4/20 को पेश हो।

8/4/20

वकुलाय उप०/ बार अभिभावक द्वारा कार्य स्थगित कर रखा है। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है पत्रावली दिनांक 27/5/20 को पेश हो।

27/5/20

वकुलाय उप०/ बार अभिभावक द्वारा कार्य स्थगित कर रखा है। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है पत्रावली दिनांक 8/7/20 को पेश हो।

8/7/20

वकुलाय उप०/ बार अभिभावक द्वारा कार्य स्थगित कर रखा है। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है पत्रावली दिनांक 26/8/20 को पेश हो।

26/8/20

वकुलाय उप०/ बार अभिभावक द्वारा कार्य स्थगित कर रखा है। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है पत्रावली दिनांक 21/10/20 को पेश हो।

Scanned with OKEN Scanner

1-11.18-10000प्रति

APP-A
Crim-II

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

.... हुक्काम ....

.... बनाम ....

.... नं. .... सन् ....

हुक्म या कार्यवाही मय दस्तखत जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
28.12.20 श्रीमान जिला कलक्टर अलवर के आदेश क्रमांक/कोर्ट/20/641 दि० 4-9-20 की पालना में पत्रावली न्यायालय ACM अलवर से स्थानांतरित होकर प्राप्त हुई। दर्ज रजि० हो। वकुलाप उप०/पत्रावली वास्ते....पेशी.... दिनांक............ को पेश हो। 28-12-20 उप खण्ड अधिकारी अलवर	
28-12-20 वकील वादी/मुकुलाय उप०/पत्रा का काम स्थगन है। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली दिनांक...... ......को पेश हो। 22.2.21 रीडर	
22.2.21 पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशासनिक कार्य। व्यस्त है। ~~अवकाश पर रहने से~~। पत्रावली अवकाश.......5/4/21 दिनांक को पेश हो।	
5/4/21 वकील वादी/मुकुलाय उप०/पत्र का काम स्थगन है। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशासनिक कार्य ... में व्यस्त पत्रावली दिनांक ... को पेश हो। 10/5/21 रीडर	
10/5/21 कोरोना महामारी कोविड-19 की रोकथाम हेतु आज नियत समस्त प्रकरणों में इकजाही तारीख पेशी नियत की गई है। S.O. साहब दौरे पर पधारे हैं। इकजाही तारीख पेशी दिनांक............को पेश हो। 12-7-21	
12.7.21 वकील वादी/वकुलाव उप०/ पत्र का कार्य स्थगन होने के कारण पत्रावली वास्ते पेशी ....को पेश हो। 20/9/21	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
20/8/21	वकील वादी/मुवक्किल हा०/गैर हा० [illegible] है। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली वास्ते दिनांक 22/11/21 को पेश हो। रीडर
	गत पेशी से केस इधर वकील वादी/मुवक्किल उपस्थित। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त होने के कारण
31.1.22	पत्रावली वास्ते पेशी दिनांक 11.4.22 को पेश हो। रीडर
11.4.22	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 19/5/22 को पेश हो। रीडर
19/5/22	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 21.7.22 को पेश हो। रीडर
21.7.22	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 22/9/22 को पेश हो। रीडर
22/09/22	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 27/10/22 को पेश हो। रीडर
27/10/22	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 19/12/22 को पेश हो। रीडर
19/12/22	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 13/3/23 को पेश हो। रीडर

Scanned with OKEN Scanner

तिथि हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	13-3-23 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक......23-5-23 को पेश हो। रीडर	
	23-5-23 वकील वादी/वकुलाय उप०। बार का कार्य स्थगन होने के कारण पत्रावली वास्ते......... दिनांक...28-8-23...को पेश हो।	
	28.8.23 वकील वादी/वकुलाय उप०। बार का कार्य स्थगन होने के कारण पत्रावली वास्ते......... दिनांक..12.9.23.........को पेश हो।	
	12-9-23 वकील वादी/वकुलाय उप०। बार का कार्य स्थगन होने के कारण पत्रावली वास्ते... दिनांक...21-11-23......को पेश हो।	
	21-11-23 पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्य में व्यस्त होने के कारण पेशी दिनांक 29-01-24 लगाई जाती है। रीडर	
	29-1-24 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक........................ को पेश हो। 26.3.24	
	26.3.24 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक........................ को पेश हो। 3-6-24 रीडर	
	03/06/24 वकील वादी/वकुलाय उप०। बार का कार्य स्थगन होने के कारण पत्रावली वास्ते......... दिनांक......12/08/24.......को पेश हो।	
	12-8-24 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक........................ 5-11-24 को पेश हो।	

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर अहलकार हुक्म के में जारी
5-11-24	पत्रावली पेश हुई वादी, प्रतिवादी अनुपस्थित, पुनः बार-बार आवाज अपरान्ह में कोई भी उपस्थित नहीं हुआ पुनः देखा गया 2.55 में भी आवाज लगवाई गई कोई भी तक भी उपस्थित नहीं हुआ अतः वादपत्र अदम पैरवी अदम हाजिरी में खारिज किया जाता है पत्रावली नम्बर से कम हो बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर होवे।	
	उपखण्ड अधिकारी अलवर	

न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर जिला अलवर
पीठासीन अधिकारी श्रीमति नीलिमा तक्षक आर. ए. एस.

रव वाद सं0 – 1/96
ा तिथि – 15/9/09

मनोहरी बेवा, पल्टू

कजोडी

बनवारी पुत्रान पल्टू

सन्तरा,

सूरता पुत्रीयान पल्टू जाति चमार निवासी ग्राम बल्लाणा तहसील व जिला अलवर (राजस्थान)

......**वादीगण**

— : बनाम :—

. राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलैक्टर अलवर (राज0)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार भूमिधारी अलवर तहसील व जिला अलवर (राज0)

......**प्रतिवादीगण**

राजस्व वाद अर्न्तगत धारा 88,89 एवं 188

राज0 काश्त0 अधि0 धारा 1955 बाबत

इश्तकरारहक एवं दुरूस्ती इन्द्राज व हुक्मइम्तनाई दवामी

निर्णय

दिनांक 13/2/2012

वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955 वाके ग्राम बल्लाणा तहसील अलवर प्रस्तुत किया। जिसका सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि आराजी गत खं0 नं0 136 मिन रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा जिसके हाल ख0न0 355 रकबा 0.40 ऐयर व 356 रकबा 0.36 ऐयर कुल किता दो रकबा कुल 0.76 ऐयर वाके ग्राम बल्लाणा तहसील व जिला अलवर राजस्थान है जो आराजी दावे में विवादित हैं विवादित आराजी राज्य सरकार द्वारा हम वादीगण के पिता पल्टू पुत्र रामधन जाति हरीजन (चमार) निवासी ग्राम बल्लाणा तहसील व जिला अलवर राजस्थान को दिनांक 02.08.1967 को आवंटन की गई ओर वक्त आवंटन मौके पर कब्जा दिया गया। मिन वादीगण का पिता घासी बरोज आवंटन से वो दखल से अपने

सहायक कलक्टर
अलवर

Scanned with OKEN Scanner

ब्जा दिया गया। मिन वादीगण का पिता घासी बरोज आवंटन से वो दखल से अपने
ावनकाल तक विवादित आराजी पर काबिज रहकर काश्त करता रहा, और हमारे
ता के स्वर्गवास के उपरांत हम वादीगण विवादित आराजी पर काबिज रहकर काश्त
रते चले आ रहे है और मौके पर हमारा कब्जा वर्तमान में चला आ रहा हैं और
जस्व रिकार्ड में हम वादीगण के पिता श्री घीसा को उनके स्वर्गवास के बाद हम
ादीगण के नाम का अंकन गैर खातेदार/खातेदार का होता चला आ रहा हैं वर्तमान
भी विवादित आराजी पर हम वादीगण ने फसल बोयी हुयी हैं। आवंटन उपरांत
ावादित आराजी सिवायचक नही रही है और काबिल काश्त रकबा हैं जिसमें आंवटन
परांत मौके पर काश्त हो रही हैं विवादित अराजी से प्रतिवादीगण का कोई संबध
ास्ता सरोकार बाद आवंटन ने तो रहा और ना वर्तमान में है। विवादित आराजी
सवायचक नही हैं बल्कि काबिल काश्त रकबा हैं। प्रतिवादीगण के तहत कर्मचारियान
ाटिलमेंट द्वारा हाल सेटिलमेंल संवत 2051–2070 में खिलाफ कानून वो मौका आराजी
ात खं0 नं0 136 मिन रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा जिसके हाल ख0न0 355 रकबा 0.40
यर व 356 रकबा 0.36 ऐयर कुल किता दो रकबा कुल 0.76 ऐयर को राजस्व रिकार्ड
ं सिवायचक लगानी अंकित कर दिया गया हैं और हम वादीगण को विवादित हाल
ख0 नंबरान 355–356 के राजस्व रिकार्ड में खातेदार दर्ज नही किया गया है ओर
खिलाफ कानून वो मौका खाता संख्या 50 में वर्णित आराजी हाल0 खं0 300, 301,
303, 306, 325, 326. 327/1047, 327/1048, 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335
336, 337, 338, 339, 298 कुल किता 20 रकबा 7.00 है0 वाके ग्राम बल्लाणा तहसील
व जिला अलवर के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में हम वादी के नाम 2 बीघा 12 बिस्वा
रकबा अंकन कर दिया गया है जिसका अंकन वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी तक
होता चला आ रहा है। उक्त हाल खं0 नंबरान भी साबिक खं0 नं0 136 से बनाये गये
है प्रतिवादीगण द्वारा विवादित आराजी से दिनांक 18.8.09 को मौके पर आकर वादी
को बेदखल करने का प्रयास किया वादी ने आपत्ति की तो जाहिर किया कि विवादित
आराजी का राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज है इसलिए वादी को बेदखल किया
जावेगा। मिन वादी ने विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड की नकलात ली ओर
दिनांक 10.9.2009 को प्रतिवादीगण से विवादित आराजी का राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त
करने का निवेदन किया तो स्पष्ट इंकार कर दिया और बेदखल करने की धमकी दी
है। इसलिए यह दावा मिन वादी को प्रतिवादीगण के खिलाफ पेश करना आवश्यक हो
गया है उपरोक्त वर्णित सूरत में मिन वादी अपने आपको विवादित आराजी को
खातेदार काश्तकार धोषित कराकर विवादित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड सेटिलमेंन्ट
सम्वत् 2051 से ता हाल तक में किए गये अंकन सिवायचक लगानी को मिन वादी के
अधिकारो के खिलाफ बातिल व बेअर व नाकाबिल पाबन्दी करार दिलाकर कलमजन
कराकर अपने नाम का अंकन बहैसियत खातेदार दर्ज कराने का अधिकारी है एंव खाता
संख्या 50 में वर्णित आराजी कुल किता 20 रकबा 7.00 है0 में वादी के हक में क़िए
गये 2 बीघा 12 बिस्वा रकबा का अंकन कलमजन कराने का अधिकारी है जिसक`लिए
यह दावा इस्तकरारहक व दुस्रूती इन्द्राज पेश किया जा रहा है इसलिए वादी

सहायक कलक्टर
अलवर

Scanned with OKEN Scanner

ोवादीगण को जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द कराने का अधिकारी हे ा:वादी वादी डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये म्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। ोकार सरकार की ओर से जवाबदावा पेश हुआ जिसका सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है ; विवादित आराजी वाके ग्राम बल्लाणा तहसील अलवर की है राजस्व रिर्काडमें उक्त ाराजी सिवायचक दर्ज है तथा बन्दोबस्त विभाग द्वारा सही अंकन किया हे मौके पर ादी का कोई कब्जा काश्त नहीं है यदि मौके पर वादी ने काश्त की होती तो ारा–91 तहत कार्यवाही की जाती, ऐसा कोई सबूत वादी ने प्रस्तुत नहीं किया है। न्दोबस्त विभाग के कर्मचारियान ने मौका व रिकॉर्ड के अनुसार सही नम्बर बनाये हे था कब्जा के अनुसार रिकार्ड में अंकन किया है। वादी की वर्तमान रिकार्ड में 2 बीघा 2 विस्वा भूमि खातेदारी में अब भी दर्ज है वादी के कथनानुसार सिवायचक भूमि पर ोई कब्जा काश्त नही है। विवादित आराजी से बेदखल करने की कोशिश कर रहे है। विवादित आराजी रिकॉर्ड में सिवायचक दर्ज है जिस पर नाजायज कब्जा करने पर दखल करने का प्रतिवादीगण को पूरा–पूरा अधिकार है एवं आंवटन/नियमन करने ा भी अधिकार है इसलिए वादी प्रतिवादीगण को जर्ये हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द कराने का अधिकारी है अतः वाद वादीगण खारिज फरमाया जावे।

करण में तनकी कायम निम्न प्रकार की गई:–

1. आया वादीगण आराजी गत खं0 नं0 136 मिन रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा जिसके हाल ख0न0 355 रकबा 0.40 ऐयर व 356 रकबा 0.36 ऐयर कुल किता दो रकबा कुल 0.76 ऐयर वाके ग्राम बल्लाणा तहसील व जिला अलवर के खातेदार काश्तकार है सिवायचक इन्द्राज को कलमजन कराकर खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है तथा जमाबन्दी खाता सं0 50 पर कुल किता 20 रकबा 7.00 है0 में से 2 बीधा 12 बिस्वा पर खातेदारी इन्द्राज को कलमजन कराने के अधिकारी है।

....वादीगण

2. आया वादी प्रतिवादीगण को जर्ये निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है।

.....वादीगण

3. आया विवादित आराजी रिकॉर्ड में सिवायचक दर्ज है तथा वादी ने कब्जे बाबत कोई सबूत पेश नही किये है वाद में रकबा 0.76 है जबकि खातेदारी रकबा 2 बीधा 12 विस्वा है वाद वादी काबिल खारिज योग्य है।

.....प्रतिवादीगण

4. अन्य दादरसी।

वकील वादीगण ने साक्ष्य में PW- 1, PW- 2, PW- 3, व रजिस्टर्ड नोटिस EX- 1, रसीद रजिस्ट्री पोस्ट ऑफिस EX- 2,आंवटन आदेश दिनांक 30/7/1979 EX-

सहायक कलक्टर
अलवर

नकल फोटोप्रति EX- 4, नकल प्रमाणित प्रति जमाबन्दी सम्वत् 2064–2067 EX- 5, लान क्षेत्रफल सम्वत् 2051 EX- 6 दस्तावेजात किये है।

प्रकरण में बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में दावे में अंकित थ्यो का दोहराते हुए कहा है कि न्यायालय श्रीमान के आदेशिका दिनांक 4/8/10 रा तहसीलदार अलवर से मौके की रिर्पोट ली गई। तहसीलदार अलवर ने अपने त्रांक भू0अ0/10/3868 दिनांक 11/10/2010 द्वारा पटवारी हल्का द्वारा की रिर्पोट जवाई गई है। रिर्पोट में उक्त आराजी पर वादीगण का कब्जा होना बताया है आज मौके पर वादीगण का कब्जा है सेटलमेन्ट द्वारा गलत इन्द्राज को कलमजन कर दीगण का अनुसार वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे। पैरोकार सरकार ने अपनी हस में जवाबदावा में अंकित तथ्यों का दोहराते हुये वादीगण का वाद खारिज रमाया जावे।

पत्रावली का व राजस्व रिकार्ड, गवाह हल्फनामों का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। उभय पक्षों की बहस का मनन करने पर तनकीवार विवरण इस प्रकार है:—

नकी नं0–1

आया वादीगण आराजी गत खं0 नं0 136 मिन रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा जिसके हाल ख0न0 355 रकबा 0.40 ऐयर व 356 रकबा 0.36 ऐयर कुल किता दो रकबा कुल 0.76 ऐयर वाके ग्राम बल्लाणा तहसील व जिला अलवर के खातेदार काश्तकार है सिवायचक इन्द्राज को कलमजन कराकर खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है तथा जमाबन्दी खाता सं0 50 पर कुल किता 20 रकबा 7.00 है0 में से 2 बीघा 12 बिस्वा पर खातेदारी इन्द्राज को कलमजन कराने के अधिकारी है।

वादी द्वारा विवादित आराजी साबिक खं0 नं0 136 मिन रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा जिसके हाल ख0न0 355 रकबा 0.40 ऐयर व 356 रकबा 0.36 ऐयर कुल किता दो रकबा कुल 0.76 ऐयर वाके ग्राम बल्लाणा तहसील व जिला अलवर के संबंध में वादी ने ऐसा कोई दस्तावेजी सबूत/रिकार्ड पेश नही किया है जिससे यह स्पष्ट हो कि उसका कब्जा पाया जावे। वादी को आराजी गत खं0 नं0 136 मिन रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा आंवटन किया जाना बबाते है जमाबन्दी सम्वत् 2064 में खाता सं 50 पर पिता पल्टू पुत्र रामधन जाति हरीजन (चमार) साकिन देह खातेदार रकबा 2बीघा 12 बिस्वा दर्ज है तथा हाल ख0न0 355 रकबा 0.40 ऐयर व 356 रकबा 0.36 ऐयर कुल किता दो रकबा कुल 0.76 ऐयर सिवायचक दर्ज रिकॉर्ड है प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावा में उल्लेख किया है कि बन्दोबस्त विभाग द्वारा सही अंकन किया हे मौके पर वादी का कोई कब्जा काश्त नहीं है यदि मौके पर वादी ने काश्त की होती तो धारा–91 तहत कार्यवाही की जाती, ऐसा कोई सबूत वादी ने प्रस्तुत नहीं किया है। उक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि विवादित हाल ख0न0 355 रकबा 0.40 ऐयर व 356 रकबा 0.36 ऐयर कुल किता दो रकबा कुल 0.76 ऐयर सिवायचक दर्ज है वादीगण का इन पर कभी भी कब्जा नही रहा है वादीगण को आंवटन शुद्दा आराजी 2

सहायक कलक्टर
अलवर

Scanned with OKEN Scanner

धा 12 बिस्वा पर जमाबन्दी सम्वत् 2064 के खाता सं0 50 पर खातेदार दर्ज किया या है जो अंकन बन्दोबस्त विभाग के द्वारा कब्जानुसार व मौकानुसार सही दर्ज करना या जाता है वादीगण विवादित आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का धिकारी नही पाया जाता है व खाता सं0 50 पर खातेदारी इन्द्राज को कलमजन राने का अधिकारी प्रतीत नही होता है यह तनकी विरूद्व वादी निर्णित की जाती है।

नकी नं0–2

आया वादी प्रतिवादीगण को जर्ये निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है.।

तनकी नं0 1 विरूद्व वादी सिद्व होती है अतः ऐसी स्थिति में वादी प्रतिवादीगण ो जरिये निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी नही है यह तनकी विरूद्व वादी ोर्णित की जाती है।

नकी न0–3

आया विवादित आराजी रिकॉर्ड में सिवायचक दर्ज है तथा वादी ने कब्जे ाबत कोई सबूत पेश नही किये है वाद में रकबा 0.76 है जो खातेदारी रकबा 2 बीघा 2 विस्वा है वाद वादी काबिल खारिज योग्य है।

उक्त तनकी सं03 का विवेचन तनकी सं01 में किया जा चुका है।

अन्य दादरसी

तीनो तनकी विरूद्व वादी के निर्णित हुई है अतः वाद वादी खारिज योग्य है।

अतः आदेश दिये जाते है कि आराजी गत खं0 नं0 136 मिन रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा जिसके हाल ख0न0 355 रकबा 0.40 ऐयर व 356 रकबा 0.36 ऐयर कुल किता दो रकबा कुल 0.76 ऐयर वाके ग्राम बल्लाणा तहसील व जिला अलवर के संबंध में वादी ने ऐसा कोई दस्तावेजी सबूत/रिकार्ड पेश नही किया है जिससे वाद साबित हो। अतः वाद वादीगण खारिज किया जाता है।

Neelima Takshak
(नीलिमा तक्षक)

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
अलवर

निर्णय आज दिनांक 13/2/2012 को खुले न्यायालय में सरे आम सुनाया गया।

Neelima Takshak
(नीलिमा तक्षक)

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
अलवर
अलवर

Scanned with OKEN Scanner

12

डिक्री व मुकदमा इतबदाई

आ0 20 रू0 6–7 जाब्ता दीवानी

न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर जिला अलवर (राज0)

बेइजलास श्रीमति नीलिमा तक्षक आर.ए.एस.

1. मनोहरी बेवा, पल्टू
2. कजोडी
1 बनवारी पुत्रान पल्टू
2 सन्तरा,
3 सूरता पुत्रीयान पल्टू जाति चमार निवासी ग्राम बल्लाणा तहसील व जिला अलवर (राजस्थान)

......**वादीगण**

— : **बनाम** :—

01. राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलैक्टर अलवर (राज0)
02. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार भूमिधारी अलवर तहसील व जिला अलवर (राज0)

......**प्रतिवादीगण**

राजस्व वाद अर्न्तगत धारा 88,89 एवं 188

राज0 काश्त0 अधि0 धारा 1955 बाबत

इश्तकरारहक एवं दुरूस्ती इन्द्राज व हुक्मइम्तनाई दवामी

मु0 न0 1/96 तारीख रज्जु 15/9/2009 तारीख निर्णय 13/2 /2012

यह मुकदमा आज वास्ते इनपिलास रोबरू सहायक कलक्टर अलवर व हाजिर श्री दिनेश कुमार यादव वकील वादी मिजजानब मुदई श्री पैरोकार सरकार वकील प्रतिवादी मिन जानिब मुदायना पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि आराजी गत खं0 नं0 136 मिन रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा जिसके हाल ख0न0 355 रकबा 0.40 ऐयर व 356 रकबा 0.36 ऐयर कुल किता दो रकबा कुल 0.76 ऐयर वाके ग्राम बल्लाणा तहसील व जिला अलवर के संबंध में वादी ने ऐसा कोई दस्तावेजी सबूत/रिकार्ड पेश नही किया है जिससे वाद साबित हो। अतः वाद वादीगण खारिज किया जाता है।

आज दिनांक 13/2/2012 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मोहर से जारी की गई

Neelima Takshak
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
अलवर
अलवर

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, अलवर (राज०)

दिनांक :- 22/12/15

क :- 274

सहायक कलक्टर अलवर

य:- मनोहरी बनाम सरकार

Reader
पत्रावली में पत्रावान की नोटिस हेतु आर्डरशीट पर लेवें

सहायक कलक्टर अलवर 23.12.15

अपील विरुद्ध आदेश ACM अलवर दिनांक 13/2/12

उक्त विषयक प्रकरण का निस्तारण दिनांक 24/11/15 को रिमाण्ड स्वीकार होने के

त आपके यहां की पत्रावली निम्नानुसार आपको वापिस लौटाई जा रही है। प्राप्ति से अवगत करायें।

संलग्न ACM 1/96/09 मनोहरी-सरकार
निर्णय RAA द्वारा 24/11/15
~~RAA ... मनोहरी-सरकार~~

राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर

राज0 ।

.... रेस्पो0 / प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1. श्री दिनेश कुमार यादव अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री गणपतसिंह नरूका राजकीय अभिभाषक असल रेस्पो0।

::: निर्णय :::

दिनांक :–24.11.2015

यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर अलवर के निर्णय व डिकी दिनांक 13.2.2012 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा इस्तकरारहक मय दुरूस्ती व हुक्म ईम्तनाई दवामी का प्रस्तुत कर निवेदन किया

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– श्री चिरंजीलाल दायमा, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 87/2015 (223 आर.टी.एक्ट)

उनवान

1. मनोहरी बेवा पलटू,
2. कजोड़ी,
3. बनवारी पुत्रान पलटू,
4. सन्तरा,
5. सूरता पुत्रीयान पलटू जाति चमार निवासी ग्राम बल्लाणा तहसील व जिला अलवर राज0 ।

.... अपीलांट/वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर अलवर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भूमिधारी तहसील व जिला अलवर राज0 ।

.... रेस्पो0/ प्रतिवादीगण

उपस्थित :–
1. श्री दिनेश कुमार यादव अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री गणपतसिंह नरूका राजकीय अभिभाषक असल रेस्पो0।

स्टेट
लिपि

::: निर्णय :::

दिनांक :–24.11.2015

यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर अलवर के निर्णय व डिक्री दिनांक 13.2.2012 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा इस्तकराररहक मय दुरूस्ती व हुक्म ईम्तनाई दवामी का प्रस्तुत कर निवेदन किया

Scanned with OKEN Scanner

आराजी गत ख0 नं0 136 मिन रकबा 2 बीधा 12 बिस्वा जिसके हाल ख0 नं0 55 रकबा 0.40 ऐयर व 356 रकबा 0.36 ऐयर कूल किता दो कुल रकबा 0.76 यर वाके ग्राम बल्लाणा तहसील व जिला अलवर में स्थित है जो विवादित आराजी है । विवादित आराजी राज्य सरकार द्वारा हम वादीगण के पिता पलटू पुत्र रामधन जाति हरीजन (चमार) निवासी ग्राम बल्लाणा को दि0 2.8.1967 को आवंटन की गई और वक्त आवंटन मौके पर कब्जा दिया गया । वादीगण का पिता घासी बरोज आवंटन से व दखल देने से काबिज है । वादीगण का पिता आवंटन से ही विवादित आराजी पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है और मौके पर हमारा कब्जा वर्तमान में भी चला आ रहा है तथा वर्तमान में विवादित आराजी पर फसल बोई हुई है । आवंटन उपरान्त विवादित आराजी सिवायचक नहीं रही औरे काबिल काश्त रकबा है । विवादित आराजी से प्रतिवादीगण का कोई संबंध व सरोकार नहीं है तथा न ही वर्तमान में है । प्रतिवादीगण ने सैटलमेन्ट कर्मचारियों से मिलकर हाल सैटलमेन्ट सम्वत् 2051–70 में खिलाफ कानून व मौका आराजी को सिवायचक लगानी अंकित कर दिया । प्रतिवादीगण द्वारा विवादित आराजी से वादीगण को बेदखल करने का प्रयास किया । इसलिए वादीगण को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा प्रतिवादीगण का नाम कलमजन करने का निवेदन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया जिन्होंने उपस्थित होकर जवाब दावा प्रस्तुत किया । विद्धान अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर तनकीयात कायम करते हुए दि0 13.2.2012 को वादी का वाद खारिज कर दिया जिस निर्णय व डिकी दि0 13.2.2012 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब की जाकर विद्धान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

विद्धान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी हम अपीलांटान को राज्य सरकार द्वारा अपीलांट के पिता/पति पलटू को दि0 2.8.1967 को आवंटन की गई थी और वक्त आवंटन से मौके पर कब्जा दिया गया तथा दखल भी दिया गया । बरोज आवंटन व दखल से अपने जीवनकाल तक पलटू काबिज रहा तथा उसके मरने के बाद उसके वारिसान विवादित आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं और राजस्व रेकार्ड में हम वादीगण / अपीलांटान के पति/पिता पलटू का नाम गैर खातेदार/खातेदार चला आ रहा है । वर्तमान में भी विवादित आराजी पर हम वादीगण / अपीलांटान ने फसल बोयी हुई है । आवंटन उपरान्त विवादित आराजी कभी भी मौके पर सिवायचक

Scanned with OKEN Scanner

। रही बल्कि काबिल काश्त रकबा है जिस पर काश्त हो रही है । विवादित राजी से रेस्पो0 का कोई संबंध व सरोकार नहीं है । हम अपीलांटान विधिक क्रिया अनुसार विवादित आराजी के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी । बन्दोबस्त कर्मचारियों द्वारा हाल सैटलमेन्ट सम्वत् 2051–70 में खिलाफ ानून व खिलाफ मौका सिवायचक लगानी दर्ज कर दी । वादीगण / अपीलांटान ो विवादित आराजी हाल ख0 नं0 355–356 के राजस्व रेकार्ड ताहाल में खातेदार र्ज नहीं किया गया और खिलाफ कानून व मौका खाता सं0 50 में वर्णित आराजी ाल ख0 नं0 300, 301, 303, 306, 325, 326, 327/1047, 327/1048, 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 298 कुल किता 20 कुल रबा 7.00 है0 वाके ग्राम बल्लाणा के राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में हम वादीगण अपीलांटान के नाम 2 बीधा 12 बिस्वा रकबा अंकन कर दिया है जिसका अंकन वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में होता चला आ रहा है । उक्त हाल खसरा नम्बरान भी साबिक ख0 नं0 136 से बनायेगये हैं जो इन्द्राज राजस्व रेकार्ड ताहाल खिलाफ कानून व खिलाफ मौका है । बन्दोबस्त कर्मचारियों को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार बिना किसी सक्षम अधिकारी की डिकी अथ्पवा बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के साबिक राजस्व रेकार्ड के विपरित ताहाल रेकार्ड में नवीन अंकन करने का कोई अधिकार नहीं है । इसलिए अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस में निवेदन विवादित आराजी राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज है तथा बन्दोबस्त विभाग द्वारा सही अंकन किया गया है । मौके पर वादी/अपीलांट का कोई कब्जा काश्त नहीं है । यदि अपीलांट की मौके पर काश्त होती तो धारा 91 की कार्यवाही की जाती । बन्दोबस्त विभाग ने मौका व रेकार्ड के अनुसार सही नम्बर बनाये हैं तथा कब्जा के अनुसार रेकार्ड में अंकन किया है । वादी / अपीलांट की वर्तमान रेकार्ड में 2 बीधा 12 बिस्वा भूमि खातेदारी में अब भी दर्ज है । विवादित आराजी पर अपीलांट / वादीगण का कब्जा नहीं है बल्कि सड़क है । अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर तनकीयात कायम करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित किया है । इसलिए अपील अपीलांट खारिज करने का निवेदन किया ।

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में निम्न तनकीयात बनायी है – तनकी नं0 1 – आया वादीगण आराजी गत ख0 निं0 136 मिन रकबा 2 बीधा 12 बिस्वा जिसके हाल ख0 नं0 355 रकबा 0.40 ऐयर व 356 रकबा 0.36 ऐयर कुल किता दो रबा कुल 0.76 ऐयर वाके ग्राम बल्लाणा तहसील व जिला अलवर के खातेदार काश्तकार है । सिवायचक इन्द्राज को कलमजन कराकर खातेदारी प्राप्त

Scanned with OKEN Scanner

रने के अधिकारी हैं तथा जमाबन्दी खाता सं0 50 पर कुल किता 20 रकबा 7.00 में से 2 बीधा 12 बिस्वा पर खातेदारी इन्द्राज को कलमजन कराने के धिकारी हैं ।

नकी नं0 2 – आया वादी प्रतिवादीगण को जर्ये निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के धिकारी हैं ।

नकी नं0 3 – आया विवादित आराजी रेकार्ड में सिवायचक दर्ज है तथा वादी के ब्जे बाबत कोई सबूत पेश नहीं किये हैं । वाद में रकबा 0.76 है जबकि खातेदारी रकबा 2 बीधा 12 बिस्वा है । वाद वादी काबिल खारिज योग्य है ।

तनकी नं0 4 – अन्य दादरसी ।

तनकी नं0 1 का निर्णय करते समय यह माना है कि वादी ने साबिक ख0 नं0 136 मिन रकबा 2 बीधा 12 बिस्वा जिसके हाल ख0 नं0 355 रकबा 0.40 ऐयर व 356 रकबा 0.36 ऐयर बने हैं । इनके संबंध में कोई दस्तावेजी रेकार्ड प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह स्पष्ट है कि उसका कब्जा काश्त विवादित आराजीयात पर हो । हाल ख0 नं0 355 रकबा 0.40 ऐयर, 356 रकबा 0.36 ऐयर कुल किता दो कुल रकबा 0.76 ऐयर सिवायचक दर्ज रेकार्ड है । वादीगण का इस पर कभी भी कब्जा नहीं मान करके यह तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित की गई है । इस तनकी के निर्णय अनुसार ही शेष तनकी नं0 2 व 3 भी वादी के खिलाफ निर्णित कर अपीलांट / वादी का वाद खारिज किया गया है ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार अलवर से विवादित आराजीयात की मौके की स्पष्ट रिपोर्ट चाही गयी थी जिस पर तहसीलदार अलवर ने रिपोर्ट में यह बताया है कि ख0 नं0 355 रकबा 0.40 ऐयर में से मौके पर करीब 0.01 है0 में आबादीव 0.24 है0 में काश्तहै । आराजी ख0 नं0 356 रकबा 0.36 ऐयर में से मौके पर 0.15 है0 पर जोत लगा रखी है । उक्त रकबा मनोहरी बेवा पलटू , कजोड़ी, बनवारी पिता पलटू वगैरा ही मौके पर काश्त है । आराजी ख0 नं0 355 में से बचा रकबा 0.15 है0 व आराजी ख0 नं0 356 में से 0.21 है0 रकबे पर सड़क निकली हुई है । दोनों विवादित आराजीयात में से सड़क में गयी भूमि 0.36 है0 के अलावा शेष रकबे पर मौके पर प्रार्थी का ही कब्जा काश्त है । अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में इस रिपोर्ट के बारे में कोई विवेचना नहीं करके निष्कर्ष नहीं दिया गया है जबकि तनकी नं0 1 में वादी का कब्जा काश्त नहीं मानकर के ही वादी का वाद खारिज किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने यह माना है कि मौके पर अपीलांट की कोई काश्त होती तो भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत कार्यवाही के बारे में कोई सबूत अपीलांट / वादी ने प्रस्तुत नहीं किया है । तहसीलदार अलवर द्वारा भेजी गयी रिपोर्ट से यह तो स्पष्ट है कि वादी का कब्जा काश्त विवादित आराजीयात पर है । धारा 91 की रिपोर्ट नहीं होने एवं इसके

प्रतिलिपि
प्राधिकारी
Scanned with OKEN Scanner

न्तर्गत कार्यवाही नहीं किये जाने का दोष अपीलांट को नहीं दिया जा सकता । यह दायित्व तो राजस्व अधिकारियों का है । यदि उन्हें यह लगता है कि सी राजकीय भूमि पर किसी व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण किया गया है तो नियमानुसार उस पर विधिवत् कार्यवाही की जावें । मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2051 जो प्रस्तुत किया गया है उससे भी यह स्पष्ट होता है कि विवादित आराजीयात) नं0 136 मिन से ही बने हैं । अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रदर्श–3 धेवासित कृषि योग्य भूमि के आवंटन आदेश दि0 30.2.79 के अनुसार अपीलांट पति/पिता पलटू पुत्र रामधन को दि0 2.8.1967 को ख0 नं0 136 मिन में से 2 धा 12 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया है । आवंटित भूमि पर अपीलांट के ते/पिता को इस आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकार भी दिये जा चुके हैं । सी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता है र उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता रहती है और प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को तेप्रेषित किये जाने का मोहताज है ।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । विद्वान सहायक कलक्टर लवर का निर्णय व डिक्री दि0 13.2.2012 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण द्वान अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर को इस निर्देश के साथ तेप्रेषित किया जाता है कि उपर दिये गये ऑब्जरवेशन के आधार पर पुनः निर्णय रित करें । खर्चा अपना–अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 24.11.2015 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(चिरंजीलाल दायमा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर

Scanned with OKEN Scanner